



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

31 भाद्र 1943 (श0)  
(सं0 पटना 798) पटना, बुधवार, 22 सितम्बर 2021

---

परिवहन विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2021

सं० 02/विविध-20/2019/परि० 5996—बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 1992—सह—पठित बिहार सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या—6581, दिनांक—06.09.2019 के नियम—64 के उपनियम—14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम—64 के उपनियम—8 में अंकित शब्द "अधिमान (Fancy) निबंधन संख्या" के पश्चात शब्द " एवं मनपसंद (Choice) निबंधन संख्या" अंतःस्थापित किया जाता है।

2. शेष यथावत रहेगा।

3. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार अग्रवाल,  
सरकार के सचिव।

The 21<sup>st</sup> September

**No. 02/Vivid-20/2019, Pari 5996**—In Exercise of the powers conferred by sub rule (14) of the rule 64 of Bihar Motor Vehicle Rule-1992 read with notification no. 6581, dated-06.09.2019 of the Transport Department, Govt. of Bihar, "and choice registration number" is inserted after the words "fancy registration number" in sub rule-8 of rule-64 of the said rule.

2. Rest shall be as before.
3. This notification shall come into force from the date of issuance of notification.

By order of the Governor of Bihar,  
Sanjay Kumar Agarwal,  
Secretary to the Government.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 798-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>